



HAPUR POLICE



OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के मामले में एक आरोपी को **04 वर्ष का कारावास व 2,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।**

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 26.02.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के मामले में 01 आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 14.05.2018 को अभियुक्त चमन पुत्र मुख्तियार निवासी ढोलक वाली गली ग्राम पिपलैड़ा थाना धौलाना जनपद हापुड़ द्वारा घर में घुसकर छेड़छाड़ करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना धौलाना पर मु0अ0सं0 171/2018 धारा 452, 354, 354क, 324, 56, 376 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 18.06.2018 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 26.02.2026 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी प्रथम हापुड़ द्वारा 04 वर्ष का कारावास व 2,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्रीमती करुणा नागर (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री लोकेश शर्मा, पैरोकार है0का0 अन्नू कुमार व कोर्ट मोहर्रि म0है0का0 अंजली तोमर का विशेष योगदान रहा।

